### उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2023

(भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 06 वर्ष 2017) को अग्रेत्तर संशोधित करने के लिए—

#### विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्म शिवायम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोध अधिनियम, 2023 है ।  (2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के रिवाय,  (क) धारा 3 से 6, धारा 8 से 15, धारा 22 से 25 तथा धारा 26 (उपधारा (1)(को छोड़कर) में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे;  (ख) धारा 16 से 21 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होंगे;  (ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उल्लिखित उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करे:  परन्तु इस अधिनियम के मिन्न-मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न-मिन्न तारी नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मू अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-  (क) खण्ड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-	न)
(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, (क) धारा 3 से 6, धारा 8 से 15, धारा 22 से 25 तथा धारा 26 (उपधारा (1)(को छोड़कर) में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे; (ख) धारा 16 से 21 में उल्लिखित उपवंध दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होंगे; (ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उल्लिखि उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करे:  परन्तु इस अधिनियम के मिन्न—मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न—मिन्न तारीनियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	
(क) धारा 3 से 6, धारा 8 से 15, धारा 22 से 25 तथा धारा 26 (उपधारा (1)(क) छोड़कर) में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे; (ख) धारा 16 से 21 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त होंगे; (ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उल्लिखि उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करे:  परन्तु इस अधिनियम के मिन्न-मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न-मिन्न तारीनियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-	
का छाड़कर) में डिल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे; (ख) धारा 16 से 21 में उिल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त हुं समझे जायेंगे; (ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उिल्लिखि उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करे:  परन्तु इस अधिनियम के मिन्न—मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न—मिन्न तारी नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 3. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	
(ख) धारा 16 से 21 में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त इसमझे जायेंगे; (ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उल्लिखि उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करेः  परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारी नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-	চ)
(ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उिल्लिख उपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करेः  परन्तु इस अधिनियम के मिन्न—भिन्न उपबंधों के लिए मिन्न—भिन्न तारी नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा।  धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर संशोधन	
जिपबंध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वा नियत करेः परन्तु इस अधिनियम के मिन्न—मिन्न उपबंधों के लिए मिन्न—मिन्न तारी नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा। धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	Ų,
नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किर निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने के प्रति निर्देश के रूप में किर जायेगा। धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर संशोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	त रा
धारा 2 का 2. उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूर संशोधन अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	ति
अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—	Π
(क) खण्ड (८०) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किए जाएंगे अर्थात:-	
	_
(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्टॉनिक नेटवर्क पर गेम क	1
प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है	
(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है	
जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य	П
क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभार्स	
डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मल्य क	Г
संदाय या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं. चाहे	
इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं	
तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं:	
(ख) खण्ड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा	
अर्थात्—	
'(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—	

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिद्धालय उत्तराखण्ड

(i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूत क्रीड़ा; (iv) घुड़दौड़; (v) लॉटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।'; (ग) खण्ड (१०५) में, अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा. अर्थात--"परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहें ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं. और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी पूर्तिकार हो।": (घ) खण्ड (११७) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-'(117क) "आमासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (47क) में उसका है: '। धारा 10 3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-संशोधन (क) उपधारा 2 में, खण्ड (घ) में, शब्द "माल या" विलोपित किये जाएंगे; (ख) उपधारा (२क) में, खण्ड (ग) में, शब्द "माल या" विलोपित किये जाएंगे। मूल अधिनियम की धारा 16 में, उपधारा (2) में,-धारा 16 का 4. संशोधन (क) दूसरे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-"परन्तु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसी पूर्तियों से मिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर संदेय है, माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार को पूर्ति के मूल्य के साथ उस पर संदेय कर के मद्दे रकम का, पूर्तिकार द्वारा बीजक जारी करने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के पश्चात भी संदाय करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किये गये इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम का, उसके द्वारा, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, धारा 50 के अन्तर्गत देय ब्याज सहित भूगतान किया जाएगा :";

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय उत्तराख्यान

		(ख) तीसरे परन्तुक में, "उसके द्वारा किये गये" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा पूर्तिकार को किये गये" शब्द रख दिये जाएंगे।
धारा 17 का संशोधन	5.	मूल अधिनियम की धारा 17 में, — (क) उपधारा 3 में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:— "स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट—प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, सिवाय,— (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संदर्भ में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों, जैसा कि विहित किया जाए, का मूल्य।";
		(ख) उपधारा 5 में, खण्ड (च) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:— "(चक) कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 135 में संदर्भित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन उसके कर्त्तव्यों से संबंधित कार्यकलापों के लिए प्रयुक्त किये जाने या प्रयुक्त किये जाने के प्रयोजन के लिए कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवा या दोनों;"।
धारा 23 का संशोधन	6.	मूल अधिनियम की धारा 23 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्निलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी और दिनांक 01 जुलाई, 2017 से प्रतिस्थापित की गयी समझी जाएगी, अर्थात्:—  "(2) धारा 22 की उपधारा (1) या धारा 24 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, व्यक्तियों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।"।
धारा 24 का संशोधन	7.	मूल अधिनियम की धारा 24 में, (क) खण्ड (xi) में, अंत में, अंग्रेजी पाठ में, "and" शब्द का लोप किया जायेगा; (ख) खण्ड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— "(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।
धारा 30 का संशोधन	8.	मूल अधिनियम की धारा 30 में,

्रेट्ट लोक सूचना अधिकारी विद्यान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

	T	(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी,
		अर्थात:— "(1) ऐसी शर्ते, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण उचित अधिकारी द्वारा स्वंय के प्रस्ताव पर रद्द किया जाता है, ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए, ऐसी रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जो कि विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा।"; (ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा।
धारा 37 क संशोधन	7 9.	"मूल अधिनियम" की धारा 37 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्ः— "(5) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन बाह्नय पूर्ति के ब्यौरे, उक्त ब्यौरे दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगाः परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए उपधारा (1) के अधीन बाह्नय पूर्ति के ब्यौरे, उक्त ब्यौरा दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"।
धारा 39 का संशोधन	10.	मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (10) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "(11) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अविध के लिए विवरणी, उक्त विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगाः परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अविध के लिए विवरणी, उक्त विवरणी दाखिल करने की देय तिथि से तीन वर्ष की उक्त अविध की समाप्ति के पश्चात भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"
धारा 44 का संशोधन	11.	मूल अधिनियम की धारा 44 को उपधारा (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "(2) किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वितीय वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगा : परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति या रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा अविवालय उत्तराज्यां

लिए वार्षिक विवरणी, उक्त वार्षिक विवरणी दाखिल करने की देय तारीख से तीन
वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य कर सकेगी।"
12. मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (14) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "(15) प्रचालक को उपधारा (4) के अधीन विवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात, दाखिल करना अनुमन्य नहीं होगाः परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, किसी प्रचालक या प्रचालाकों के वर्ग को उपधारा (4) के अधीनविवरण, उक्त विवरण दाखिल करने की देय तारीख से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी, दाखिल करना अनुमन्य
कर सकेगी।"
13. मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उचित अधिकारी, इस निमित, परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न, रिजस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों के शून्य दर पूर्ति होने के आधार पर प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनंतिम आधार पर दावा की गयी रकम के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा और तत्पश्चात आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक सत्यापन के पश्चात् उपधारा (5) के अधीन प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा।"
4. मूल अधिनयम की धारा 56 में, शब्दों " यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के मीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के अवसान के पश्चात् की तारीख से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तारीख तक ब्याज संदेय होगा" के स्थान पर शब्द "यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उस धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तारीख के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट छह प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर पर ब्याज ऐसे प्रतिदाय के संबंध में संदेय होगा,जैसा कि ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से उक्त कर के प्रतिदाय की तारीख तक 60 दिन से अधिक की विलम्ब की अविध के लिए,ऐसी रीति और

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिदालय उत्तराखण्ड

		ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विहित की जाए, संगणित किया जा
		सकता है" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
धारा 62 का संशोधन	15.	मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (2) में, — (क) शब्दों "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जाएंगे; (ख) निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :— "परन्तु जहां रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश के तामील के साठ दिनों के भीतर वैध विधरणी दाखिल करने में असफल रहता है, वह उक्त विवरणी साठ दिनों की अग्रेत्तर अवधि के भीतर उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिनों के पश्चात् विलम्ब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये के अतिरिक्तविलम्ब शुल्क के भुगतान पर दाखिल कर सकता है और यदि ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर वह वैध विवरणी दाखिल करता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किन्तु धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज के भुगतान या धारा 47 के अधीन विलम्ब शुल्क के भुगतान की देयता बनी रहेगी।"
घारा 109 का संशोधन अपील अधिकरण और उसकी पीठों का गठन		मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "109 इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवायी करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"
धारा 110 का विलोपन	17.	"मूल अधिनियम" की धारा 110 विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 114 का विलोपन	18.	''मूल अधिनियम'' की धारा 114 विलोपित कर दी जाएगी।
धारा 117 का संशोधन	19.	"मूल अधिनियम" की धारा 117 में, — (क) उपधारा (1) में, शब्दों "राज्य पीठ या अपील अधिकरण की क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द "अपील अधिकरण की राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे; (ख) उपधारा (5) में खण्ड (क) और (ख) में, शब्दों "राज्य पीठ या क्षेत्रीय पीठ" के स्थान पर शब्द "राज्य पीठ" रख दिये जाएंगे;
धारा 118 का संशोधन	20.	"मूल अधिनियम" की धारा 118 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, शब्दों "राष्ट्रीय पीठ या अपील अधिकरण की प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "अपील अधिकरण की प्रधान पीठ" रख दिये जाएंगे।
धारा 119 का संशोधन	21.	''मूल अधिनियम'' की धारा 119 में, — (क) शब्दों "राष्ट्रीय या प्रांतीय पीठों" के स्थान पर शब्द "प्रधान पीठ" रख दिये जाएंगे;

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवासय उत्तराखण्ड

		(ख)राब्दों "राज्य पीठों या क्षेत्रीय पीठों" के स्थान पर शब्द राज्य पीठ" रख दिये
		जाएंगे।
1	का 22.	वि । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
संशोधन		अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:
		"(1ख) कोई इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक, जो—
-		(i) इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा, ऐसी पूर्ति करने के लिए,
		रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त व्यक्ति को छोड़कर, अपने माध्यम से किसी
		अरिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति अनुमन्य करता
		है ;
		(ii) अपने माध्यम से किसी व्यक्ति, जो ऐसी अन्तरप्रान्तीय पूर्ति करने के लिए
		अर्द नहीं है नहार मान का लेकाओं का ने रंग करना वहां तिहा
		अर्ह नहीं है, द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अन्तरप्रान्तीय पूर्ति अनुमन्य करता है; या
		(iii) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रेशन की प्राप्ति से छूट प्राप्त व्यक्ति द्वारा
		अपने माध्यम से की गयी माल की बाह्य पूर्ति का सही ब्यौरा धारा 52 की
		चाहाचा (४) के आगि नारि के नारि के नारि के नारि के नारि के नारिक के
		खपधारा (4) के अधीन दाखिल विवरण में प्रस्तुत करने में असफल रहता है,
		दस हजार रूपये, या यदि ऐसी पूर्ति किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा की गयी होती,
		धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, अंतर्निहित कर
		की रकम के बराबरराशि, जो भी अधिक है, के अर्थदण्ड का भुगतान करने का दायी
		होगा।"
धारा 132 क	T 23.	मूल अधिनियम की धारा 132 में, उपधारा (1) में,
संशोधन	20.	
(ICIIG-1		(क)खण्ड (छ), (ञ) और (ट) विलोपित किये जाते हैं;
İ		(ख) खण्ड (ठ) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से खंड (ट)" के स्थान पर
		शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (क) से (च) और खण्ड (ज) और (झ)" प्रतिस्थापित
		कर दिये जाएंगे;
		(ग) खण्ड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा,
		अर्थात्:-
		"(iii) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अपराध के मामले में, जहां कर अपवंचन की रकम या
		गलत रूप से लिये गये या प्रयुक्त किये गये इनपुट कर प्रत्यय की रकम या गलत
•		लिए गये प्रतिदाय की रकम एक सौ लाख रूपये से अधिक किन्तु दौ सौ लाख
		रूपये से अनिधक है, तो ऐसे करावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने
5		सं; ";
		24 1
	-100	
		(घ) खण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज)"
		(घ) खण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
	241	(घ) खण्ड (iv) में शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ज)" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
धारा १३८ का	24	के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।
धारा 138 का संशोधन	24.	के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे। मूल अधिनियम की धारा 138 में,—
धारा 138 का संशोधन	24.	के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और वर्णाक्षर "खंड (च)" प्रतिस्थापित कर दिये जाएंगे।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा अधिकारा उत्तराख्यण्ड

	(i) खण्ड (क) के स्थान पर निम्निलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:— "(क) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) और (ठ) में विनिर्दिष्ट किसी भी अपराध के संबंध में, एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया था;"; (ii) खण्ड (ख) विलोपित कर दिया जाएगा; (iii) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्निलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्:— "(ग) कोई व्यक्ति जो, धारा 132 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपराध कारित करने का अभियुक्त है;"; (iv) खण्ड (ङ) विलोपित कर दिया जाएगा; (ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्निलिखित उपधारा प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए रकम, न्यूनतम रकम अंतर्निहित कर के पच्चीस प्रतिशत से कम और अधिकतम रकम अंतर्निहित कर के सौ प्रतिशत से अनिधक के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी होगी, जैसा कि विहित किया जाए।"
नयी धारा 158क का अंतःस्थापन कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सूचना का सहमति आधारित साझाकरण	25. मूल अधिनियम की धारा 158 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्:— "158क. (1) धारा 133, 152 तथा 158 में किसी बात के होते हुए मी, रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा दाखिल निम्नलिखित विवरण, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, कॉमन पोर्टल द्वारा, ऐसी अन्य प्रणालियों, जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि विहित किया जाए, के साथ साझा किया जाएगा, अर्थात् :— (क) धारा 25 के अधीन रिजस्ट्रेशन के लिए दाखिल आवेदन या धारा 39 या धारा 44 के अधीन दाखिल विवरणी में दाखिल ब्यौरा; (ख) बीजक तैयार करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्यौरे, धारा 37 के अधीन दाखिल बाह्य पूर्ति का विवरण तथा धारा 68 के अधीन दस्तावेज सृजित करने के लिए कॉमन पोर्टल पर अपलोड किये गए ब्यौरे; (ग) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि विहित किया जाए।  (2) उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) और (ग) के अधीन दाखिल विवरण के सम्बन्ध में, आपूर्तिकर्ता; और (ख) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दाखिल विवरण के सम्बन्ध में, जिहां ऐसे विवरण में प्राप्तिकर्ता की पहचान की सूचना सम्मिलित है, प्राप्तिकर्ता, की सहमति, ऐसे प्रक्रप और ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, प्राप्त की ज़ायेगी।

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचियालय उत्तराखण्ड

		(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी अन्य बात के होते हुए भी, इस धारा के
		अधीन सूचना साझा करने के परिणामस्वरूप किसी देयता के उत्पन्न होने के सन्दर्भ
		में सरकार या कॉमन पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नही होगी और संगत पूर्ति पर
		या सगत विवरणी के अनुसार कर के भुगतान की देयता पर कोई प्रभाव नहीं
		होगा।"।
अनुसूची 3 का	26.	(1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, —
संशोधन		(क) पैरा 6 में, "लॉटरी, दांव या द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य
		दावों" शब्द रखे जाएंगे।
उत्तराखण्ड		(ख) पैरा 7 और 8 और उसका स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि अधिनियम संख्या 31 वर्ष
माल और सेवा		2018 धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित) 01 जुलाई, 2017 से अतःस्थापित किया जाए
कर अधिनियम		समझा जाएगा।
की अनुसूची 3		
में कतिपय		(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है,
कार्यकलापों		किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट
और		अधिसूचना सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।
सम्व्यवहारों को		विश्व
भूतलक्षी प्रभाव		
से छूट		
संक्रमणकालीन	27.	दस अधिनियम के अधीन किए सम
उपबंध		इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैंसिनो, द्यूत क्रीड़ा,
		घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित
		करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर
		प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।
निरसन और		
	28.	(1) उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तराखण्ड
व्यावृत्ति		अध्यादेश सं0 5 वर्ष 2023) एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है।
		(a) +++ +
		(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपरोक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात
		या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा विधान उत्तरखण्ड

#### विधायी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है। 2— उक्त संशोधन के द्वारा किसी प्रकार की अतिरिक्त विधायी शक्तियां का प्रत्यायोजन किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

> प्रेम चन्द अग्रवाल वित्त मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा राधिपालय उत्तराखण्ड

#### खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है।

- 1— विधेयक के खण्ड 1 में संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 2- विधेयक के खण्ड 2 में धारा 2 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 3— विधेयक के खण्ड 3 में धारा 10 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 4- विधेयक के खण्ड 4 में धारा 16 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 5— विधेयक के खण्ड 5 में धारा 17 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 6- विधेयक के खण्ड 6 में धारा 23 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 7- विधेयक के ख़ण्ड 7 में धारा 24 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 8— विधेयक के खण्ड 8 में धारा 30 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 9- विधेयक के खण्ड 9 में धारा 37 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 10- विधेयक के खण्ड 10 में धारा 39 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 11- विधेयक के खण्ड 11 में धारा 44 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 12- विधेयक के खण्ड 12 में धारा 52 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 13- विधेयक के खण्ड 13 में धारा 54 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 14- विधेयक के खण्ड 14 में धारा 56 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 15— विधेयक के खण्ड 15 में धारा 62 का संशोधन का उपबंघ किया जाना प्रस्तावित है।
- 16- विधेयक कें खण्ड 16 में धारा 109 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 17- विधेयक के खण्ड 17 में धारा 110 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 18- विधेयक के खण्ड 18 में धारा 114 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 19- विधेयक के खण्ड 19 में धारा 117 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 20— विधेयक के खण्ड 20 में धारा 118 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 21- विधेयक के खण्ड 21 में धारा 119 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 22- विधेयक के खण्ड 22 में धारा 122 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 23- विधेयक के खण्ड 23 में धारा 132 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 24- विधेयक के खण्ड 24 में धारा 138 का संशोधन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 25- विधेयक के खण्ड 25 में नयी धारा 158क का अन्तःस्थापन का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 26— विधेयक के खण्ड 26 में अनुसूची 3 का संशोधन का उपबंघ किया जाना प्रस्तावित है।
- 27- विधेयक के खण्ड 27 में संक्रमणकालीन उपबंध का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।
- 28- विधेयक के खण्ड 28 में निरसन और व्यावृत्ति का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है।

प्रमाणित प्रति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविपालय

प्रेम चन्द अग्रवाल वित्त मंत्री

#### वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक "उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017" का संशोधन मात्र है। 2— उक्त विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी प्रकार का आवर्तक एवं अनावर्तक प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

> प्रेम चन्द अग्रवाल वित्त मंत्री

प्रमाणित प्रति लोक सूबना अधिकारी विधान सभा सविद्यालय

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttarakhand Goods and Services Tax Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No. 05 Year 2023) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both and the matters connected therewith or incidental thereto by the State Government.

- 2. The proposed Bill is brought to replace the Uttarakhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023 (Uttarakhand Ordinance No. 05 Year 2023).
- The proposed Bill fulfills the aforesaid objectives.

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंचालय उत्तराखण्ड Prem Chand Aggarwal Finance Minister

## THE UTTARAKHAND GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT)

Bill, 2023

(Uttarakhand Bill No. of 2023)

A

Bill

further to amend the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 06 of 2017)-

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and	1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Goods and Services
Commencement.	Tax (Amendment) Act, 2023.
	<ul> <li>(2) Save as otherwise provided in this Act,-</li> <li>(a) the provisions mentioned in section 3 to 6, section 8 to 15, section 22 to 25 and section 26 (except sub-section (1)(a)) shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2023;</li> <li>(b) the provisions mentioned in section 16 to 21 shall be deemed to have come into force on the 1<sup>st</sup> day of August, 2023;</li> <li>(c) the provisions mentioned in section 2, section 7, sub-section (1)(a) of section 26 and section 27 shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:  Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act and any reference in any such provision to the commencement of this Act shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.</li> </ul>
Amendment of section 2	2. In the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the Principal Act), in section 2, —  (a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—  '(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;  (80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;";

प्रमाणित प्रति लोक सूर्वना अधिकारी विधान सभा संविद्यालय उत्तरस्मण्ड

	<ul> <li>(b) after clause (102), the following clause shall be inserted namely:— '(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii) gambling; (iv) horse racing; (v) lottery; or (vi) online money gaming;';</li> <li>(e) in clause (105), the following proviso shall be inserted at the end, namely:— "Provided that a person who organises or arranges, directly indirectly, supply of specified actionable claims, including person who owns, operates or manages digital or electron platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied him or through him and whether consideration in money money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him placed at his disposal in any manner, and all the provisions of the Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supplor such actionable claims;";</li> <li>(d) after clause (117), the following clause shall be inserted namely:— '(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Income-tax Act 1961;'.</li> </ul>
Amendment of section 10	<ul> <li>In section 10 of the Principal Act, — <ul> <li>(a) in sub-section (2), in clause (d), the words "goods or" shall omitted;</li> <li>(b) in sub-section (2A), in clause (c), the words "goods or" shall be omitted.</li> </ul> </li> </ul>
Amendment of section 16	4. In section 16 of the Principal Act, in sub-section (2),— (a)For the second proviso, the following proviso shall substituted, namely:—

प्रमाणित प्रति रोक सूचना अधिवनरी विधान सभा शविदालय उत्तरखण्ड

	"Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be paid by him along with interest payable under section 50, in such manner as may be prescribed:";  (b) in the third proviso, for the words "made by him", the words "made by him to the supplier" shall be substituted.
Amendment of section 17	<ul> <li>5. In section 17 of the Principal Act, — <ul> <li>(a) in sub-section (3), for the Explanation, the following Explanationshall be substituted, namely:—</li> <li>"For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except, — <ul> <li>(i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and</li> <li>(ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule.";</li> </ul> </li> <li>(b) in sub-section (5), after clause (f), the following clause shall be inserted as a section (5).</li> </ul></li></ul>
Amendment of section 23	be inserted, namely:—  "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;".  6. In section 23 of the Principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—
	"(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in subsection (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".

्रे लोक सूचना अधिकारी विधान सभा संविदालय उत्तराखण्ड

Amendment of	7. In section 24 of the principal Act,—	.
section 24	(a) in clause (xi), the word "and" ocurring at the end, shall	be
	omitted;	ad l
	(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted	ou,
	namely:—	
	"(xia) every person supplying online money gaming from a pla	CC
	outside India to a person in India; and".	
Amendment of	8. In section 30 of the Principal Act, —	
section 30	(a)For sub section (1), the following sub section shall substituted, namely:—	be
	"(1) Subject to such conditions as may be prescribed, a	my
	registered person, whose registration is cancelled by the prop	per
	officer on his own motion, may apply to such officer	for
	revocation of cancellation of the registration in such mann	ıer,
	within such time and subject to such conditions and restriction	ns,
	as may be prescribed.";	
	(b) the proviso shall be omitted.	
Amendment of	9. In section 37 of the Principal Act, after sub-section (4),	the
section 37	following sub-section shall be inserted, namely:	
Control of the Control of Control	"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the deta	
	of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after	
	expiry of a period of three years from the due date of furnish the said details:	ing
	Provided that the Government may, on the recommendations	s of
	the Council, by notification, subject to such conditions	
	restrictions as may be specified therein, allow a registered per-	
	or a class of registered persons to furnish the details of outw	
	supplies for a tax period under sub-section (1), even after	
	expiry of the said period of three years from the due date	
	furnishing the said details.".	
(SE)	3	
Amendment of	10. In section 39 of the Principal Act, after sub-section (10),	the
section 39	following sub-section shall be inserted, namely:	
Detion 07	"(11) A registered person shall not be allowed to furnish a ret	turn
	for a tax period after the expiry of a period of three years from	
	due date of furnishing the said return:	
21	Provided that the Government may, on the recommendations	s of
	the Council, by notification, subject to such conditions	
	restrictions as may be specified therein, allow a registered per	
	restrictions as may be specified therein, allow a registered per	

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सचिवालय उत्तराखण्ड

		or a class of registered persons to furnish the return for a tar
		period, even after the expiry of the said period of three years from
Amendment of	11.	the due date of furnishing the said return.".
section 44	11.	Section 44 of the Principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:— "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual return:  Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return."
Amendment of	12.	In costi 50 Cd
section 52		In section 52 of the Principal Act, after sub-section (14), the following sub-section shall be inserted, namely:— "(15) The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) and the sub-section (4) and the sub-section (5) and the sub-section (6) and the sub-section (6) and the sub-section (7) and the sub-section (7) and the sub-section (8) and the sub-section (14) and the sub-section (15) and the sub-section (14) and the sub-section (15) and the sub-section (15) and the sub-section (15) and the sub-section (15) and the sub-section (16) and the sub-section (16) and the sub-section (16) and the sub-section (17) and the sub-section (18) and
e e		under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:  Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as a result.
		restrictions as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement."
Amendment of ection 54	1	In section 54 of the Principal Act, for sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:—
	p	(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by egistered persons, other than such category of registered persons
	o th	s may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety per cent. of the total amount so claimed, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement

लोक सूचन अधिकारी विधान सभा सिंदेवालः उत्तराखण्ड

		of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.".			
Amendment of section 56		In section 56 of the Principal Act, for the words "If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:" the words "If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six per cent. as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund such tax to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed:" shall be substituted.			
Amendment of section 62	15.	In section 62 of the Principal Act, in sub-section (2), —  (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be substituted;  (b) the following proviso shall be inserted, namely:—  "Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay			
		interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.".			
Amendment of section 109	16.	For section 109 of the Principal Act, the following section shall be substituted, namely:—			

प्रमाणित पति लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सविवासः उत्तराखण्ड

Constitution of	T 1	"109. Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and		
Appellate		Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and		
Tribunal and		Services Tax Act, 2017 shall be the Appellate Tribunal for		
Benches thereof		hearing appeals against the orders passed by the Appellate		
		Authority or the Revisional Authority under this Act.".		
Omission of	17.	Section 110 of the Principal Act, shall be omitted.		
section 110				
Omission of	18.	Section 114 of the Principal Act, shall be omitted.		
section 114				
Amendment of	19.	In section 117 of the Principal Act, —		
section 117		(a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches		
		of the Appellate Tribunal", the words "State Bench of the		
		Apellate Tribunal" shall be substituted;		
		(b)in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State		
		Bench or Area Benches", the words "State Bench" shall be		
18		substituted.		
		The Delegation of the Control of the		
Amendment of	20.	In section 118 of the Principal Act, in sub-section (1), in clause		
section 118	200	(a), for the words "National Bench or Regional Bench of the		
		Appellate Tribunal", the words "Principal Bench of the Appellate		
140		Tribunal" shall be substituted.		
Amendment of	21.	In section 119 of the Principal Act,—		
section 119		(a) for the words "National or Regional Benches", the words		
		"Principal Bench" shall be substituted;		
88		Timopai poleti bimi oo babbaata,		
		(b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State		
		Bench" shall be substituted.		
		Delian State of Substituted.		
Amendment of	22.	In section 122 of the Principal Act, after sub-section (1A), the		
section 122		following sub-section shall be inserted, namely:—		
		"(1B) Any electronic commerce operator who—		
		(i) allows a supply of goods or services or both through it by		
		an unregistered person other than a person exempted from		
		registration by a notification issued under this Act to make		
		such supply;		
		(ii) allows an inter-State supply of goods or services or both		
2		through it by a person who is not eligible to make such inter-		
		State supply; or		

लोक सूचना अधिकारी विद्यान सभा सचिवासप उत्तराखण्ड

		(iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act, shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher."
Amendment of	23.	In section 132 of the Principal Act, in sub-section (1),
section 132		(a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;
		(b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;
		(c) For clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:- "(iii) in the case of an offence specified in clause (b), where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;";
		(d)in clause (iv), for the words, brackets and letters "clause (f) or clause (g) or clause (j)" the words, brackets and letters "clause (f)" shall be substituted.
Amendment of	24.	In section 138 of the Principal Act,—
section 138		(a) in sub-section (1), in the first proviso,—  (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—  "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";  (ii) clause (b) shall be omitted;  (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—  "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";

लोक सूचला अधिकारी िमान सभा सविवास्य उत्तरसम्बद्ध (iv) clause (e) shall be omitted;

(b)For sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than twenty-five percent. of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred per cent. of the tax involved.".

# Insertion of new section 158A

Consent based sharing of information furnished by taxable person

25. After section 158 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"158A. (1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, namely:—

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44:
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section 37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68; (c) such other details as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of—
  - (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses(a), (b) and (c) of sub-section (1); and
  - (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient, in such form and manner as may be prescribed.
- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return.".



Amendment of	26.	(1) In Schedule III to the Principal Act, -		
Schedule III		(a) in paragraph 6, for the words "lottery, betting and gambling"		
Retrospective		the words "specified actionable claims" shall be substituted.		
exemption to		(b) paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted		
certain activities		vide section 31 of Act No. 31 of 2018) shall be deemed to have		
and transactions		been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.		
in Schedule III to				
the Uttarakhand		(2) No refund shall be made of all the tax which has been		
Goods and		collected, but which would not have been so collected, had sub-		
Services Tax Act		section (1) been in force at all material times.		
Transitory	27.	The amendments made under this Act shall be without prejudice		
provision		to provisions of any other law for the time being in force,		
		providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino,		
		gambling, horse racing, lottery or online gaming.		
		E		
Repeal and	28.	(1) The Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2023		
Saving		(Uttarakhand Ordinance No. 5 of 2023), are hereby repealed.		
		(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action		
		taken under the corresponding provisions of the said Ordinance,		
		shall be deemed to have been done or taken, under the		
		corresponding provisions of this Act.		

प्रमाणित पति लोक सूचना अधिकारी विधान समा अधिकारी उत्तराख्याउ

## रूप भेद ज्ञापन

उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (अध्यादेश संख्या 05, वर्ष 2023) का रूप भेद ज्ञापन—

## अध्यादेश के उपबंध

विवरण	धारा	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित/अन्तःस्थापित
		उपबंध
यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा		इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय,
N 3010 525		(क) धारा 3 से 6, धारा 8 से 15, धारा 22
अधिसूचना द्वारा नियत करे।		से 25 तथा धारा 26 (उपधारा (1)(क) को छोड़कर) में उल्लिखित उपबंध दिनांक 01
		अक्टूबर, 2023 को प्रवृत्त होंगे;
		(ख) धारा 16 से 21 में उल्लिखित उपबंध
		दिनांक 01 अगस्त, 2023 को प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे;
		(ग) धारा. 2, धारा 7, धारा 26 की उपधारा (1)(क) तथा धारा 27 में उल्लिखित उपबंध
8		उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य
		सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत
		परन्तु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबन्ध के प्रवृत होने
		के प्रति निर्देश के रूप में किया जायेगा।
धारा 1 के पश्चात धारा 2 का अंत: स्थापन किया गया है	2 .	उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,—
		(क) खण्ड (80) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— '(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से इंटरनेट या इलैक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी
	अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।	अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा जीववालय उत्तरखण्ड

(80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना अभिप्रेत है, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का संदाय या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं, तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;';

(ख) खण्ड (102) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्— '(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से,—

- (i) दांव लगाने;
- (ii) कैसिनो;
- (iii) द्यूत क्रीड़ा;
- (iv) घुड़दौड़;
- (v) लॉटरी; या
- (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।';
- (ग) खण्ड (105) में, अंत में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात—

"परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति की व्यवस्था या ठहराव करता है, जिसके अंतर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावे, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहें ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन

प्रमाणित पति

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा अधिवासय उत्तराखण्ड

		<del>,</del>	( ) ( ) (
			या धन के मूल्य, जिसके अंतर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से संदत्त या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबंध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी
			पूर्तिकार हो।";  (घ) खण्ड (117) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्— '(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय—कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खण्ड (47क) में उसका है; '।
24	धारा 7 का अंत: स्थापन किया गया है	24	मूल अधिनियम की धारा 24 में, (क) खण्ड (xi) में, अंत में, अंग्रेजी पाठ में, "and" शब्द का लोप किया जायेगा; (ख) खण्ड (xi) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:— "(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से, भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति; और"।
अनुसूची 3	(1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,पैरा 7 और 8 और उसका स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2018 धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित) 01 जुलाई, 2017 से अतःस्थापित किया जाए समझा जाएगा।	अनुसूची 3	(1) मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में, — (क) पैरा 6 में, "लॉटरी, दांव या द्यूत" शब्दों के स्थान पर, "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों" शब्द रखे जाएंगे। (ख) पैरा 7 और 8 और उसका स्पष्टीकरण 2 (जैसा कि अधिनियम संख्या 31 वर्ष 2018 धारा 31 द्वारा अंतःस्थापित) 01 जुलाई, 2017 से अतःस्थापित किया जाए समझा जाएगा।

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंद्यालय उत्तराखण्ड

	(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।		(2) ऐसे सभी कर का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा, जिसका संग्रहण किया गया है, किन्तु उसका इस प्रकार संग्रहण नहीं किया जाता, यदि उपधारा (1ख) में निर्दिष्ट अधिसूचना सभी तात्विक समय पर प्रवृत्त होती।
संक्रमण कालीन उपबंध	धारा 27 का अंत: स्थापन किया गया है	संक्रमण कालीन उपबंध	इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूत क्रीड़ा, घुड़दौड़, लॉटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निबंधित या विनियमित करने का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

लोक सूचना अधिकारी विधान सभा सिंदेवासः उत्तराखण्ड प्रेम चन्द अग्रवाल वित्त मंत्री